अनुलग्नक-2

जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न विभाग की योजनाएं

योजना का नाम	विभाग	संभावित गतिविधियां
जल जीवन मिशन	ग्रामीण पेयजल विभाग	ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर को एक कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराना।
अटल भू-जल योजना	जल संसाधन विभाग (केवल चयनित जिलों में)	भू-जल स्तर बढ़ाने हेतु जल स्रोत रिचार्ज आदि कार्य कराना।
15वां वित्त आयोग	ग्राम पंचायत	ग्रे-वाटर प्रबंधन, नाली निर्माण के कार्य करवाना।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	सोख्ता गड्ढे का निर्माण, ग्रे-वाटर मैनेजमेंट आदि कार्य कराना।
महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत सभी तरह के जल संरक्षण के कार्य करवाना।
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम	(आई.डब्ल्यू.एम.पी) भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल निकायों का निर्माण/वृद्धि आदि कार्य कराना।
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग	बड़े जल भंडारों के जीर्णोधार का कार्य कराना।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	वाटरशेड से संबंधित कार्य कराना।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	अधिक पानी की खपत वाली फसलों के लिये सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था करना।
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकीय तंत्र का संतुलन एवं वाटरशेड से संबंधित कार्य कराना।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	पेयजल योजना के संचालन के लिये मानव संसाधन हेतु कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्य कराना।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों से जल संरक्षण गतिविधियां कराना।
लोक सभा सदस्य वित्त पोषित	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	अंत: ग्राम अधोसंरचना निर्माण
विधान सभा सदस्य वित्त पोषित	राज्य	अंत: ग्राम अधोसंरचना निर्माण

समर्थन के बारे में

समर्थन- सेंन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है, जो वर्ष 1996 से भारत देश के मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय निकायों, सामुदायिक संगठनों, अन्य स्वंयसेवी संस्थाओं, स्थानीय लोगों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु का निर्माण हो ताकि समाज के उपेक्षित, वंचित वर्ग की आवाज बुलन्द हो सके और वे भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। समर्थन पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य, जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कार्य करती है। इसके साथ ही बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से नीतिगत बदलाव हेतु साक्ष्य आधारित संवाद करना भी संस्था के कार्यों का प्रमुख हिस्सा है।

36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल-462016, Tel: 09893563713

जल अशुद्धि का हमारे शरीर पर प्रभाव

रासायनिक तत्वों के अधिक उपयोग से मानव शरीर पर होने वाले प्रभाव

बोरॉन तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) को प्रभावित करता है।

पारा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।

क्लोराइड सोडियम के साथ मिलकर रक्तचाप में वृद्धि का कारण बनता है।

सीसा बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधक है, एनीमिया का कारण बनता है और वयस्कों में किडनी को नुकसान पहुंचाता है।

नाइट्रेट शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम (मेथोग्लोबिनामिया) कैंसर का कारण बनता है।

कीटनाशकों से कैंसर होता है, तंत्रिका तंत्र और प्रजनन प्रणाली को नुकसान होता है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली (इम्यून सिस्टम) को गंभीर नुकसान पहुंचता है।

कैल्शियम से कब्ज और गुर्दे की पथरी (किडनी स्टोन) होती है।

फ्लोराइड दांतों में सड़न पैदा कर दांतों को नुकसान पहुंचाता है।

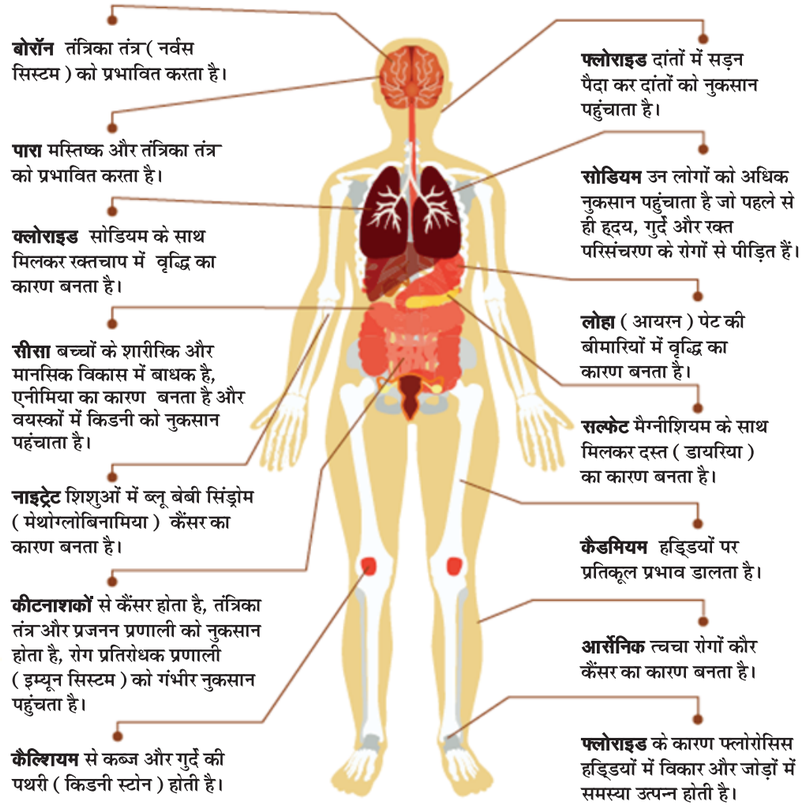

सोडियम उन लोगों को अधिक नुकसान पहुंचाता है जो पहले से ही हृदय, गुर्दे और रक्त परिसंचरण के रोगों से पीड़ित हैं।

लोहा (आयरन) पेट की बीमारियों में वृद्धि का कारण बनता है।

सल्फेट मैग्नीशियम के साथ मिलकर दस्त (डायरिया) का कारण बनता है।

कैडमियम हड्डियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

आर्सेनिक त्वचा रोगों और कैंसर का कारण बनता है।

फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस हड्डियों में विकार और जोड़ों में समस्या उत्पन्न होती है।

पानी पीने योग्य है या नहीं, यह जानने के लिए प्रयोगशाला में पानी की जाँच करवाएँ

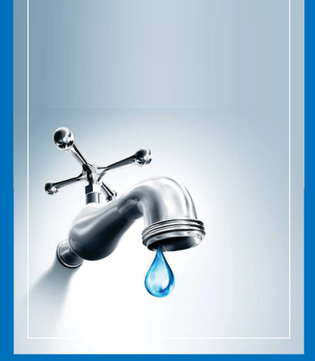

ग्राम स्तर पर चयनित एवं प्रशिक्षित 5 महिलाओं के दल द्वारा साल में दो बार (बारिश से पहले एवं बारिश के बाद) जल गुणवत्ता परीक्षण किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें जल जांच किट (FTK) उपलब्ध करायी जाएगी।

हर घर जल
जल जीवन मिशन
german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
WELT HUNGER HILFE
WHH
स म र्थ न

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका

जल जीवन मिशन की प्रमुख बातें

लक्ष्य

- ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक हर घर चालू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर के हिसाब से शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त पानी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

अंशदान

- 50% से अधिक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले गांवों में लोगों से योजना की कुल लागत का 5% और अन्य गांवों में 10% अंशदान लिया जाएगा। अंशदान नगद, सामग्री या श्रम के रूप हो सकता है।

योजना का स्वरूप

- स्थानीय जरूरतों के अनुसार गांव स्तर पर हर वर्ग की भागीदारी के साथ नल जल आपूर्ति की योजना बनायी जायेगी।
- जिन गांवों में पर्याप्त पानी वाले जल स्रोत हैं वहां एकल ग्राम योजना और जहां उचित जल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं ऐसे गांवों का समूह बनाकर बहु-ग्राम योजना के माध्यम से जल आपूर्ति की जायेगी।

संचालन एवं रखरखाव

- नल जल योजना का संचालन एवं रखरखाव ग्रामवासियों की भागीदारी के साथ ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

जल स्रोतों का स्थायित्व

- पेयजल स्रोतों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जल संग्रहण और संवर्धन के कार्य किये जायेंगे।

"आओ मिल-जुल हाथ बढ़ाएँ, हर घर नल से जल पहुँचायें।"

ग्राम पंचायत की भूमिका

ग्रामीण आबादी की पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं पर पहुंच सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 73वें संविधान संशोधन में 'पेयजल व स्वच्छता' के प्रबंधन का काम पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची के माध्यम से पंचायतों को सौंपे गए कार्यों की सूची में 'पेयजल व्यवस्था' भी ग्राम पंचायतों के कार्य एवं जिम्मेदारी का प्रमुख हिस्सा है। सतत विकास लक्ष्यों में छठवां लक्ष्य 'स्वच्छ जल और स्वच्छता' जो पंचायतों में पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं का टिकाऊ प्रबंधन, खुले में शौच से मुक्त पंचायत, सूखे एवं गीले कचरे का प्रबंधन व सुरक्षित निपटान और वर्षा जल का संग्रहण की बात करता है, ग्राम पंचायतों के सक्रिय नेतृत्व के बिना इसे पाना संभव नहीं है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका को निम्न 3 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है –

कार्य योजना निर्माण के दौरान

- ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) का गठन कराना।
- नल जल योजना निर्माण हेतु संकल्प पारित कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष को प्रस्तुत करना।
- कार्य योजना बनाने में महिलाओं, बच्चों सहित समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- कार्य योजना निर्माण हेतु आवश्यक जानकारी एवं आंकड़ों को इकट्ठा करने में पी.एच.ई. विभाग एवं कार्यान्वयन सहायता एजेन्सी को सहयोग करना।
- पानी से जुड़ी स्थानीय जानकारियों एवं परम्परागत ज्ञान को योजना निर्माण में महत्व दिलाना।
- समुदाय के साथ गांव की बसाहट एवं जल संसाधनों का नजरी नक्शा तैयार कर मोहल्ला वार पानी से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना।
- जल बजट के माध्यम से पेयजल, पशु एवं खेती के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता और गांव में उपलब्ध जल की मात्रा का आंकलन कर कमी को दूर करने हेतु जरूरी अधोसंरचनाओं के निर्माण की योजना बनाना।
- सामुदायिक भागीदारी से पानी की टंकी, पम्प हाउस, नलकूप आदि के निर्माण हेतु उचित स्थान का चयन कराना।
- कार्य योजना के ड्राफ्ट को ग्राम सभा में प्रस्तुत कर, लोगों के सुझावों को कार्य योजना में शामिल कर, ग्राम कार्य योजना का अनुमोदन कराना।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित ग्राम कार्य योजना पीएचई विभाग को भेजना।
- विभाग द्वारा द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को ग्रामीणों के साथ खुली बैठक में साझा कर, परियोजना लागत और अंशदान की राशि से समुदाय को अवगत कराना।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

समिति में कम से कम 10 सदस्य रहेंगे, जिसमें 25% पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, 50% महिलाएं एवं शेष 25% प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधि जनसंख्या में उनके अनुपात के आधार पर रखे जाना है।

क्रियान्वयन/निर्माण के दौरान

- डीपीआर की एक प्रति प्राप्त करना, पीएचई विभाग से पत्राचार कर डीपीआर की प्रति प्राप्त की जा सकती है।
- अंशदान और जल कर की राशि जमा करने के लिए बैंक खाता खुलवाना। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष (सरपंच/उप सरपंच/पंच) और सचिव खाते में संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता रहेंगे।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के साथ मिलकर अंशदान की राशि एकत्र करना।

निर्माण के दौरान निम्न बातों की निगरानी रखना

- **जल स्रोत –** कम से कम दो ऐसे जल स्रोतों का चयन और निर्माण किया गया है, जिनसे बारह माह लम्बे समय तक पानी मिलता रहेगा।
- **विद्युत उपकरण** - मोटर पम्प, स्टार्टर, मेन स्विच, पाइप आदि आईएसआई मार्का एवं डीपीआर में दी गई विशेषता/क्षमता के अनुरूप लगाए गए हैं।
- **पानी की टंकी –** मजबूत और डीपीआर में दी गई क्षमता के अनुसार बनायी गई है।
- **राइजिंग मेन पाइप लाइन -** जल स्रोत से पानी की टंकी तक बिछायी जाने वाली पाइप लाइन की मोटाई 110 मिमी है और 3 फिट गहराई में बिछायी गई है।
- **वितरण पाइप लाइन -** घरों में नल कनेक्शन देने के लिए बिछायी गई पाइप लाइन की मोटाई 90 मिमी है और 3 फिट गहराई में बिछायी गई है।
- **चैक वॉल्व -** सभी घरों में उचित दबाव के साथ पानी पहुंचाने के लिए घरों की संख्या के आधार पर वॉल्व लगाए गए हैं।
- **जल जमाव वाले स्थान व नालियों से दूरी -** जल वितरण चैम्बरों का निर्माण और वितरण पाइप लाइन को जल भराव वाले स्थान या नालियों से दूर रखा गया है।
- **फेरूल –** वितरण पाइप लाइन से घरों में नल कनेक्शन देने के लिये 1.5 इन्च मानक के फेरूल का इस्तेमाल किया गया है।
- **घरेलू नल कनेक्शन –** लाभार्थी की सहमति से उचित स्थान पर 20 मिमी की पाइप लाइन और टोंटी के साथ स्टेण्ड पोस्ट का निर्माण कर नल कनेक्शन दिये गये हैं।
- **सामुदायिक संस्थाओं में नल कनेक्शन** – गांव में मौजूद स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन आदि में नल कनेक्शन दिए गए हैं।

संचालन एवं रखरखाव के दौरान

- नल जल योजना का निर्माण पूर्ण हो जाने पर, टेस्टिंग करवाकर देखना कि योजना ठीक से काम कर रही है या नहीं, हर घर में उचित दबाव के साथ पर्याप्त पानी मिल रहा है अथवा नहीं, पाइपलाइन/टंकी में कहीं लीकेज तो नहीं है, पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही योजना का हेन्डओवर लेना।
- नल जल योजना से संबंधित समस्त कागजात/बिल की एक प्रति पीएचई विभाग/क्रियान्वयन एजेन्सी से प्राप्त करना, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी पर गारंटी/वारंटी का लाभ लिया जा सके।
- ग्राम पंचायत कार्यालय में नल जल आपूर्ति योजना का पूरा नक्शा प्रदर्शित करना।
- योजना के संचालन एवं रखरखाव के लिए योग्य पंप ऑपरेटर, वॉल्व मेन की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षण दिलाना और आवश्यक टूल्स उपलब्ध कराना।
- जल गुणवत्ता परीक्षण दल हेतु 5 महिलाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिलाना।
- जल गुणवत्ता परीक्षण दल को जांच किट उपलब्ध कराकर, साल में कम से कम दो बार (बारिश के पहले और बाद में) जल गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करना।
- जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणामों से पीएचई विभाग को अवगत कराना। जिससे की विभाग उचित कार्यवाही कर सके।
- ग्राम सभा का आयोजन कर नल जल योजना के संचालन हेतु नियम बनाना और प्रति परिवार मासिक जलकर की राशि का निर्धारण करना। (अनुलग्नक-1 का अवलोकन करें)
- मासिक जलकर जमाकर्ताओं को रसीद उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।

- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की मासिक बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना।
- समय-समय पर नल जल योजना के आय-व्यय की जानकारी सूचना पटल/ ग्राम पंचायत या अन्य बैठकें/ग्राम सभा के माध्यम से सार्वजनिक करना।
- नल जल योजना में होने वाली सामान्य टूट-फूट की सामग्री को पहले से खरीदकर स्टॉक में रखना।
- शिकायत एवं सुझाव दर्ज कराने के लिए शिकायत पेटी/रजिस्टर/मोबाइल नम्बर की व्यवस्था कर शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना।
- सभी पंचों को अपने-अपने वार्डों में नल जल आपूर्ति व्यवस्था के निगरानी की जिम्मेदारी सौंपना।
- ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों में नियमित एजेन्डे के रूप में जल आपूर्ति योजना की स्थिति पर चर्चा कराना।
- जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पुरानी जल अधोसंरचनाओं का जीर्णोद्धार और नई अधोसंरचनाओं के निर्माण की योजना बनाकर विभिन्न विभागीय योजनाओं के अभिसरण से क्रियान्वित करना। (अनुलग्नक-2 का अवलोकन करें)
- मानसून से पहले राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा संचालित "कैच द रेन" अभियान चलाकर "वर्षा जल जहां गिरे, जब गिरे" संरक्षित करने के लिए आवश्यक संरचनाओं का निर्माण कराना।

अनुलग्नक - 1

कैसे करें प्रति परिवार मासिक जलकर का निर्धारण ?

यहाँ सीहोर जिले के सतपिपलिया गाँव में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा ग्राम पंचायत द्वारा मासिक जलकर निर्धारण हेतु किए गये अभ्यास का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जिसके माध्यम से आप अपने गांव में मासिक जलकर का निर्धारण कर सकते हैं। सतपिपलिया गांव में कुल 344 परिवार हैं और वहां की कुल जनसंख्या 1845 है। 344 परिवारों में से 261 पिछड़ा वर्ग, 45 मुस्लिम, 4 अनुसूचित जन जाति, 31अनुसूचित जाति और 3 सामान्य वर्ग के हैं।

नल जल योजना - खर्च विवरण

क्र.	खर्च मद	मासिक खर्च	वार्षिक खर्च
1	वॉल्व-मेन का मासिक मानदेय	7,500/-	90,000/-
2	मासिक बिजली बिल	18,000/-	2,16,000/-
3	मोटर रिपेरिंग, टूट-फूट खर्च	5,000/-	60,000/-
4	जल गुणवत्ता सम्बंधित खर्च	1,000/-	12,000/-
5	कोई अन्य खर्च यदि हो तो		
	नल जल योजना पर कुल मासिक/वार्षिक खर्च	**31,500/-**	**3, 78,000/-**

खर्च के अनुसार जलकर का निर्धारण

क्र.	स्रोत	मासिक जल कर	वार्षिक जल कर
1	कुल मासिक खर्च ÷ गांव में कुल नल कनेक्शन = प्रति परिवार अनुमानित मासिक जल कर	31500 ÷ 344 = 91.50/-	91.50 x 12 = 1098/-
2	जलकर का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गांव में गरीब परिवारों को जलकर में छूट/रियायत देने एवं कुछ परिवारों के समय पर जलकर न दे पाने के कारण योजना के संचालन में परेशानी आ सकती है, इसलिए गणना से निकली राशि में 10 से 20 प्रतिशत राशि बढ़ाकर जलकर का निर्धारण करना चाहिए।	100/- प्रति परिवार	1200/- प्रति परिवार
3	कुल आय	34400/-	412800/-
	इमरजेंसी फण्ड के रूप में जमा शेष राशि = (कुल आय – कुल खर्च)	**2,900/-**	**34800/-**